न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर–कैम्प दूदू

अपील संख्याः–84 / 2012 / 223

हरजी पुत्र सुवा,
1. पप्पूड़ी पुत्री काना,
2. पूंसी पुत्री काना,
3. संजू पुत्री काना,
4. अनोप पुत्री सुवा,
5. हीरा पुत्री सुवा,
6. श्रवणी पत्नि सुवा,
7. केली बेवा गोपाल,
8. रमेश पुत्र गोपाल,
9. रामनारायण पुत्र गोपाल,
10. कमला पुत्री गोपाल,
11. संजू पुत्री गोपाल,
12. मंशा पुत्री गोपाल,
13. समस्त जाति गूजर, निवासी मरवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. हरदीना पुत्र भोलू,
2. हरचंद पुत्र भोलू,
3. रामा पुत्र भोलू,
4. मांगू पुत्र भोलू,
5. माला पुत्र कालू,
6. रूपा पुत्र कालू,
7. सोनी पत्नि श्रवण,
8. नन्दू पुत्री श्रवण,
9. मंगल पुत्र श्रवण,
10. छीतर पुत्र श्रवण,
11. गिरधारी पुत्र श्रवण,
12. तीजा पत्नि स्वरूपा,
13. सजना पुत्री स्वरूपा,
14. प्रेम पुत्री स्वरूपा,
15. गिरीराज पुत्र स्वरूपा,
16. गणेश पुत्र स्वरूपा,
17. भंवरलाल पुत्र मदना,
18. मानदेवी पुत्री मदना,
समस्त जाति गूजर, निासी मरवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
19. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
20. उप पंजीयक कार्यालय, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

Scanned by CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 4.1.2012 राजस्व वाद संख्या 182/2008 हरदीना वगैरह बनाम हरजी वगैरह.

उपस्थित:—

श्री राधेश्याम लक्षकार, वकील अपीलांटस ।
श्री राजेन्द्र गूर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5 व 6 व 17.
श्री महेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4.
श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत, वकील रेस्पो0 संख्या 11 से 16, 18.
श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 19 व 20.

(2) अपील संख्या:—85/2012/223

1. हरजी पुत्र सुवा,
2. पप्पूड़ी पुत्री काना,
3. पूंसी पुत्री काना,
4. संजू पुत्री काना,
5. अनोप पुत्री सुवा,
6. हीरा पुत्री सुवा,
7. श्रवणी पत्नि सुवा,
8. केली बेवा गोपाल,
9. रमेश पुत्र गोपाल,
10. रामनारायण पुत्र गोपाल,
11. कमला पुत्री गोपाल,
12. संजू पुत्री गोपाल,
13. मंशा पुत्री गोपाल,

समस्त जाति गूजर, निवासी मरवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. हरदीना पुत्र भोलू,
2. हरचंद पुत्र भोलू,
3. रामा पुत्र भोलू,
4. मांगू पुत्र भोलू,
5. माला पुत्र कालू,
6. रूपा पुत्र कालू,
7. सोनी पत्नि श्रवण,
8. नन्दू पुत्री श्रवण,
9. मंगल पुत्र श्रवण,
10. छीतर पुत्र श्रवण,
11. गिरधारी पुत्र श्रवण,
12. तीजा पत्नि स्वरूपा,
13. सजना पुत्री स्वरूपा,
14. प्रेम पुत्री स्वरूपा,
15. गिरीराज पुत्र स्वरूपा,
16. गणेश पुत्र स्वरूपा,
17. भंवरलाल पुत्र मदना,

प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

मानादेवी पुत्री मदना,
समस्त जाति गूजर, निासी मरवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
19. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
20. उप पंजीयक कार्यालय, दूदू जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 4.1.2012 राजस्व वाद संख्या 13/2009 हरजी वगैरह बनाम श्रवण वगैरह जो वादी संख्या 182/2008 में शामिल है.

उपस्थितः—

1. श्री राधेश्याम लक्षकार, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राजेन्द्र गूर्जर, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5 व 6.
3. श्री महेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—11.12.2014

1. यह दोनों अपीले विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 4.1.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में अलग—अलग पेश की गई है । दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित भूमि समान होने से तथा एक ही निर्णय व डिकी के विरूद्ध होने से दोनों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावली में पृथक—पृथक रखी जावे ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 16 व 17 ने उपखण्ड अधिकारी, दूदू के यहां आराजी खसरा नंबर 63, 250, 269, 327, 346 कुल किता 6 कुल रकबा 4.99 है0 वाके ग्राम मरवा, तहसील मौजमाबाद के संबंध में वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 7 लगायत 16, 18 लगायत 20 के विरूद्ध पेश किया जो वाद संख्या 182/2008 दर्ज हुआ । इन्हीं खसरा नंबरान के संबंध में एक वाद अपीलांटस ने विरूद्ध रेस्पो0 बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जा वाद संख्या 13/2009 दर्ज किया गया । दोनों वाद में पृथक--पृथक जवाब दावा पेश होने पर दोनों वादों को समेकित कर दिया गया । तत्पश्चात् विद्वान अधी0न्यायाा0 ने वाद संख्या 182/2008 उनवान हरदीना वगैरह बनाम हरजी को निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 4.1.2012 को पारित करने का निर्णय पारित किया तथ वाद संख्या 13/2009 उनवानी हरजी बनाम श्रवण वगैरह बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज कर दिया । अपीलांटस वाद संख्या 13/2008 में वादीगण थे तथा वाद संख्या 182/2008 में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 थे । अतः अपीलांटस वाद संख्या 182/2008 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 4.1.2012 तथा वाद संख्या 13/2009 जिसमें अपीलांटस वादीगण थे जो वाद निर्णय व डिकी दिनांक 4.1.2012 द्वारा ही खारिज किया गया से व्यथित होकर यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में अलग—अलग पेश की है ।

3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्यायाा0 ने वाद संख्या 182/2008

फोटो स्टेट
प्रमाणित प्रतिलिपि

डिक्री करने तथा वाद संख्या 13/2009 खारिज करने में त्रुटि की है । विवादित आराजियात के मूल खातेदार लाला थे तथा लाला के पुत्र कालू, भोलू व मदना संवत् 2011 के पूर्व से ही अपने पिता से अलग हो गये थे। मदना तो संवत् 2004 से ही मरवा छोड़कर मध्यप्रदशे चला गया था। वादीगण/अपीलांटस का पिता सुवा अपने लाला के साथ रहा तथा सुवा व लाला शामिल रहकर विवादित भूमि को काश्त करते थे। लाला के पुत्र कालू व भोलू के नाम जो भूमि उनके हिस्से में लाला ने दी थी उसका पर्चा खातेदार उनके नाम संवत् 2011 में आया जबकि विवादित भूमि अपीलांटस क पिता सुवा के हिस्से की थी किन्तु सुवा लाला के साथ खेती करता आया था इस कारण उसके हिस्से की भूमि का पर्चा लाला के नाम आ गया था । किन्तु लाला की मृत्य के बाद विवादित भूमि जो सुवा के हिस्से की थी का विरासत नामांतकरण लाला के चारों पुत्रों के नाम गलत खोल दिया गया जबकि कालू, भोलू, मदना का विवादित आराजियात पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है । अधी0न्याया ने तनकी संख्या 1 व 2 के संबंध में पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का कतई अवलोकन नहीं किया बल्कि सरसरी तोर पर यह कहते हुए कि विवादित भूम के पक्षकारान सहहिस्सेदार है प्राथमिक डिकी पारित कर दी । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, लगान की रसीदों तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से अपीलांटस का कब्जा उनके पूर्वज सुवा का बखूबी साबित था किन्तु अधी0न्याया0 ने इन दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअंदाज कर वार्दीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया तथा वाद संख्या 182/2008 को डिकी कर जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत के प्रतिकूल है । वाद संख्या 182/2008 के वादीगण का विवादित भूमि पर कतई कब्जा सिद्ध नही था न ही इस वाद के वादीगण/रेस्पो0 द्वारा कोई स्वतंत्र साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त मानकर वाद संख्या 182/2008 डिकी कर दिया जो विधिविरुद्ध एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रतिकूल है । तनकी संख्या 3 व 4 को सिद्ध करने हेतु अपीलांटस ने बहैसियत वादी (वाद संख्या 13/2009) एवं बहैसियत प्रतिवादीगण (वाद संख्या 182/2008) में दस्तावेजी साक्ष्य, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, लगान की रसीदें तथा मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी हरजी के बयान एवं विवादित भूमि के सींव पड़ौसियों के बयान कराये थे जिससे कब्जा संवत् 2011 से अपीलांटस का उनके पूर्वज सुवा के समय से सिद्ध था । इन बयानों का खण्डन रेस्पो0 ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं किया । अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्यों से वाद संख्या 13/2009 स्वीकार योग्य तथा वाद संख्या 182/2008 निरस्त योग्य था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिकी दिनांक 4.1.2012 निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 13/2009 डिकी किया जावे एवं वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 182/2008 निरस्त किया जावे ।

4\. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2, 5 व 6 ने बहस में कथन किया कि हमने वाद संख्या 182/2008 अपीलांटस के विरुद्ध तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था तथा अपीलांटस ने वाद संख्या 13/2009 घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । वादीगण/रेस्पो0 (वाद संख्या 182/2008) विवादित आराजियात पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है राजस्व रिकार्ड में विधिवत् तकासमा नहीं होने से सींव को लेकर विवाद बना रहता है । लाला की

Scanned by CamScanner

मृत्यु के बाद विवादित भूमि का विरासत नामांतकरण उसके चारों पुत्रों के नाम खुला है जो सही है । विद्वान अधी0न्यायाा0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण कर विधिसम्मत् रूप से हमारा वाद संख्या 182/2008 तकासम व स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया है तथा अपीलांटस का वाद संख्या 13/2009 निरस्त किया है जो विधिसम्म्त् है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादीगण ने अधी0न्यायाा0 के समक्ष वाद संख्या 13/2009 घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का तथा वादीगण/रेस्पो0 ने वादी संख्या 182/2008 अपीलांटस के विरूद्ध तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–2 मिसल बंदोबस्त संवत् 2011 से 2029के अनुसार वादग्रस्त भूमि के साबिक खसरा नंबर लालू पुत्र पदमा जाति गुर्जर के नाम दर्ज है तथा लालू की मृत्यु के बाद उसके चारो पुत्रों कालू, सुवा, मदना व भोलू के नाम विरासत नामांतकरण स्वीकृत किया गया है । अपीलांटस का यह कथन कि कालू, मदना व भोलू उनके पिता के ज़ीवनकाल में ही लालू से अलग हो गये थे जिससे उनका विवादित आराजियात में कोई हक व हिस्सा नही रह गया था किया गया कथन उचित प्रतीत नही होता है क्योंकि विवादित भूमि लालू की थी जिसकी मृत्यु के बाद उसकी भूमियों में उसके सभी पुत्रों का समान हक व हिस्सा होता है । विवादित भूमियां लालू की होने से विरासतन वादीगण व प्रतिवादीगण सहिस्सेदार खातेदार काश्तकार है जिन्हें अपने हिस्से की भूमियों का बंटवारा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है । जहां तक कालू पुत्र लालू के नाम अन्य भूमियां दर्ज होने का प्रश्न है इन भूमियों का पर्चा अलग से उसके नाम जारी हुआ था । अपीलांटस ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं किया कि यह भूमियां लालू द्वारा उसे दी गई हो। सहिस्सेदार की भूमियों पर एडवर्स पजेशन का सिद्धांत भी लागू नही होता है । अपीलांटस/वादीगण वाद संख्या (13/2009) अपना वाद साबित करने में असफल रहे है इसी कारण विद्वान अधी0न्यायाा0 ने अपीलांटस का वाद खारिज किया है तथा रेस्पो0/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 182/2008 विवादित भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता लालू की होने से तथा लालू की मृत्यु के बाद विरासत नामांतकरण उसके चारों पुत्रों के नाम स्वीकृत होने से बंटवारा की आज्ञाप्ति एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित की है जो विधिसम्मत् है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्यायाा0 का निर्णय व डिकी दिनांक 4.1.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः दोनों अपील अपीलांटस खारिज की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 4.1.2012 यथावत् रखे जाते है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर–कैम्प दूदू

7. आदेश आज दिनांक 11.12.2014 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर–कैम्प दूदू

Scanned by CamScanner

Judil/Civil
Part IV-4

डिगरी सीगे अपील

(ओ. 41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम अजमेर

द्वारा श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, RAS

...जी पुत्र सुवा जाति गूजर बनाम हरदीना पुत्र मोलू जाति गूजर

नि० मरवा तहसील मौजमाबाद नि० मरवा तह० मौजमाबाद

जिला जयपुर व अन्य। जिला जयपुर व अन्य।

अपील संख्या 84 सन 2012 ब नाराजगी डिगरी अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दूदू मुबर्खे 04 माह 01 सन 2012

दावा बाबत

यह अपील ब तारीख 11 माह 12 सन 2014 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

ब हाजिरी श्री राधेश्याम सलाकार- मिनजानिब अपीलान्ट ब सर्वश्री राजेन्द्र गुर्जर महेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह, पृथ्वी राज चौधरी एडवोकेट

राज. प्रा. अधि० रेस्पोडेन्ट समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील

अपीलार्थीगण खारिज की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड

अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

04/01/2012 यथावत रखे जाते है।

खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक —)रुपये

अदा करे, खर्चा मुकदमा मातहत का — अदा करे।

बसबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 11 माह 12 सन 2014

को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

हस्ताक्षर
ओहदा

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू.	पै.	रेस्पोन्डेन्ट	रू.	पै.
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. इजराय हुक्नामा 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराय हुक्नामा 4. मेहनताना वकील		
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

प्रमाणित प्रतिलिपि

Scanned by CamScanner